भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .612

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर किया गया व्यय

612. श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण/मरम्मत पर पृथक-पृथक कितना व्यय किया गया है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान असम-अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण/मरम्मत के लिए आवंटित बजट और किए गए वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) द्वारा अनुबंध/रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार असम-अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग के उचित अनुरक्षण के लिए सुधार किया गया है/सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) के विकास तथा रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) पर किया गया व्यय निम्नानुसार है: -

	व्यय (करोड़ रूपये में)	
वर्ष	**राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास**	**राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव और मरम्मत**
2019-20	141,630	3,011
2020-21	164,476	5,948
2021-22	210,072	5,135
2022-23	215,212	6,278
2023-24	262,159	6,523
कुल	**993,549**	**26,894**

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान असम में गुवाहाटी से मेघालय में शिलांग होते हुए त्रिपुरा में अगरतला तक राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6, 8 और 37) के मरम्मत और जीर्णोद्धार पर 187 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ग) गुवाहाटी से शिलांग होते हुए अगरतला तक लगभग 577 किलोमीटर की कुल राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई में से लगभग 236 किलोमीटर लंबाई रियायत अवधि/दोष देयता अवधि (डीएलपी) के अधीन है, जिसमें संबंधित रियायतग्राही/ठेकेदार द्वारा रखरखाव कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा, लगभग 129 किलोमीटर लंबाई में चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कार्य किए गए हैं। शेष 213 किलोमीटर लंबाई में, राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)/राज्य सरकार द्वारा रखरखाव कार्य किए गए हैं।

*****